LAW OF TORTS

LL.B. THREE YEAR –II ND SEMESTER

&

LL.B. FIVE YEAR – VI TH SEMESTER

UNIT –IV

Motor vehicle accidents, compulsory insurance- object of compulsory insurance

Insurer's liability – for third party risk, towards the owner of the vehicle, for persons on root of a bus, for use of the vehicle in a public place. Liability when the vehicle is not insured. Effect of transfer of vehicle on insurer's liability.

Claims Tribunal – Constitution, Matters of adjudication by claims tribunals, Procedure, and the award. Appeal to the High Court.

अनिवार्य बीमा पालिसी –

भारत में प्रत्येक मोटर वाहन के लिये वाहन बीमा पालिसी लेना अनिवार्य है। बिना बीमा के सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है।

अनिवार्य बीमा का उद्देश्य :–

वाहन बीमा कारों, ट्रकों , मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, ट्रैक्टरों तथा अन्य सड़क वाहनों के लिये अनिवार्य है इसका उद्देश्य उन पैदल यात्री जिन्हे मोटर वाहन टक्कर मार देते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी अथवा जख्मी हो जाते थे तो उन्हे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी क्योंकि मोटर चालकों के पास क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिये संसाधन नही होते थे।

इस प्रकार मोटर वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व बीमा कम्पनी के ऊपर डाला गया है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार प्रत्येक वाहन मालिक को अपने वाहन के लिये बीमा लेना अनिवार्य है।

क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य वाहन या सम्पत्ति या जीवन को नुकसान पहुॅचाता है और दुर्घटना के लिये जिम्मेदार चालक की भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में भी पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने के लिये कोई नही बचेगा और यह उसे वित्तीय संकट में डाल सकता है। इसलिये कानून के माध्यम कम से कम थर्ड पार्टी मोटर बीमा करवाना अनिवार्य किया गया है। यदि वाहन का बीमा कराया गया है तो मोटर चालक द्वारा दुर्घटना होने पर तृतीय पक्षकार को जो क्षति हुई हो उसे मोटर यान के स्वामी को जगह मोटर यान का बीमा कर्ता अर्थात बीमा कम्पनी देती है।

मोटर यान अधिनियम 1988 का अध्याय 11 धारायें 145 से 164 तक मोटर यानों के पर जोखिम बीमा से सम्बंधित है।

धारा 146 के अनुसार –

सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के प्रयोग के लिये पर व्यक्ति जोखिम बीमा अनिवार्य होगा।

बीमाकर्ता का दायित्व –

धारा 147 मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत बीमाकर्ता का दायित्व निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है–

01. बीमा पालिसी किसी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई हो।
02. पालिसी में विर्निदिस्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट विस्तार तक होगा।
03. बीमाकर्ता का दायित्व किसी व्यक्ति अथवा माल के स्वामी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि, जो यान में ले जाया जा रहा है, कि मृत्यु अथवा शारीरिक आघात अथवा तृतीय पक्षकार की सम्पत्ति को हानि अथवा किसी सार्वजनिक सेवा यान के यात्री की मृत्यु अथवा उसके शारीरिक आघात के विषय में होगा।
04. बीमाकार ऐसी क्षति के लिये दायित्व के अधीन होगा जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से घटित हुई हो यदि किसी यान का तृतीय पक्षकार के विपरीत बीमा नही हुआ है तो उसमे कोई बीमाकर्ता उत्तरदायी नही होगा परन्तु यान का चालक तथा स्वामी कोई दुर्घटना होने पर उत्तरदायी ठहराये जायेगें।
05. बीमाकर्ता का दायित्व मोटर यान के स्वामी के प्रति होता है।

<u>यान के हस्तान्तरण पर बीमाकर्ता का दायित्व :–</u>

बीमाकर्ता का दायित्व स्वामी के प्रति (बीमित वाहन के) होता है चूँकि अन्तरिती एक पर व्यक्ति होता है जबतक कि पालिसी उसके नाम समनुदेशित न कर दी जाये वह बीमे की संविदा को प्रवृत्त नहीं करा सकता है बीमा – संविदा बीमाकर्ता तथा यान के स्वामी के बीच एक व्यक्तिगत संविदा है जिसमें बीमाकर्ता किसी दुर्घटना में तृतीय पक्षकार को हानि की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति (यान के स्वामी) को होने वाले दायित्व को स्वीकार करता है।

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 157 के अनुसार अब स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने याम के स्वामित्व के अन्तरा के साथ उससे सम्बंधित बीमा पालिसी का भी अन्तरण कर देता है तो यह समझा जायेगा कि यान के अन्तरण के समय से ही यान के साथ बीमा प्रमाण पत्र तथा उसमें वर्णन की गई बीमा पालिसी का भी अन्तरण हो गया है। अतः यान के नये स्वामी की उपेक्षा के लिये बीमाकर्ता उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह पुराने स्वामी की उपेक्षा कि लिये था।

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 157 में सन् 1994 में संशोघन करके एक स्पष्टीकरण जोड़कर स्पष्ट किया गया है कि धारा 157 (1) के प्रावधान में न केवल बीमा प्रमाण–पत्र बल्कि उसमें बीमा पालिसी का ही अन्तरण माना जायेगा और ऐसे बीमा पालिसी तथा बीमा प्रमाण–पत्र के अधिकारों तथा दायित्वों का भी अन्तरण माना जायेगा।

बिना बीमा कराये यान (मोटर) चलाने का प्रभाव –

मोटर यान अधि0 1988 के अन्तर्गत बिना बीमा पालिसी के सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चलाना निषिद्ध कर दिया गया है और इसके उल्लंघन को दण्डनीय बनाया गया है।

धारा 196 के अनुसार ,

जो कोई भी एक मोटर यान चलाता है या धारा 146 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक मोटर यान का चालन कारित कराता है या चलाने की अनुमति देता है तो वह कारावास से, जो तीन महीने तक विस्तारित हो सकेगा या अर्थदण्ड से जो 1000 रू0 परन्तु मोटर वाहन संशोघन अधि0 2019 के द्वारा 2000 रू0 तक या दोनों से दण्डनीय होगा।

मोटर यान के टक्कर मार कर फरार होने पर क्षतिपूर्ति –

यदि कोई मोटर यान टक्कर मार कर भाग जाता है तथा युक्ति–2 प्रयासों से भी ऐसे यान की पहचान करना सम्भव नहीं है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना के पीढ़ित व्यक्ति को धारा 161 के उपबन्धों के अनुसार मुआवजा देने का विशेष प्रावधान किया गया है इस धारा के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25000 रू0 तथा घोर उपहति होने पर 12500 रू0 मुआवजा दिया जायेगा।

दोषसहित तथा दोषरहित दायित्व –

सामान्यता जब वाहन चालक का दोष होता है तभी उसके लिये दायित्व होता है किन्तु मोटर यान अधि0 1988 के अन्तर्गत कुछ स्थितियों में दोषरहित दायित्व को मान्यता दी गई है–

धारा 140 के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर 50000 रू0 को नियत घनराशि तथा स्थायी निशक्तता की स्थिति में 25000 रू0 की नियत धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी इतनी धनराशि की क्षतिपूर्ति के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक नही है कि यान के चालक या उसके स्वामी द्वारा उपेक्षा की गई है किन्तु यदि यह दावा उपर्युक्त निर्धारित धनराशि से अधिक के लिये है तो उसके लिये यान चालक अथवा यान के स्वामी की उपेक्षा सिद्ध करना अनिवार्य है।

दावा न्यायाधिकरण –

मोटरयान अधिनियम द्वारा मोटर यानों की दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को सस्ता और त्वरित उपचार प्रदान करने के लिये एक नवीन अधिकरण अर्थात मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का सृजन किया गया है। चूंकि इसके पूर्व प्रतिकर सम्बंधी वाद सामान्य दीवानी न्यायालयों में दाखिल किये जाते थे जो कि एक लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से पूर्ण होते थे तथा वाद के मूल्यानुसार कोर्ट फीस देनी होती थी इस अधिकरण में वाद (दावा) के मूल्यानुसार कोर्ट फीस नहीं देनी होती है तथा संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण दावा अधिकरण कर सकते है।

दावा न्यायाधिकरण के गठन के लिये उपबन्ध धारा 165 में किया गया है–

धारा 165 के अनुसार –

दावा न्यायाधिकरणों का गठन प्रतिकर के ऐसे दावे पर न्यायनिर्णयों के प्रयोजनों के लिये किया गया है–

01. जो कि ऐसी दुर्घटनाओं से सम्बंधित है जो मोटर यानों के प्रयोग से हुये हैं।
02. जिसमें–
    - क. व्यक्तियों की मृत्यु अथवा उनकी शारीरिक क्षति का प्रश्न अन्तर्गस्त है।
    - ख. इस प्रकार घटित दुर्घटना से किसी तृतीय पक्षकार की सम्पति की नुकसानी का प्रश्न अन्तर्गस्त अथवा।
    - ग. दोनों ही है।

दावा अधिकरण का गठन उतने सदस्यों से होगा जितना राज्य सरकार उचित समझे तथा एक अध्यक्ष होगा कोई सदस्य को निम्न अहर्ता धारण करना होगा –

1. वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो।
2. जिला न्यायाधीश को या रहा हो ।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की अर्हता धारित करता हो,

दावा न्यायाधिकरण को प्रतिकर का दावा ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार तब प्राप्त है जब कोई दुर्घटना मोटर यान के प्रयोग से हुई हो।

प्रक्रिया –

<u>प्रतिकर के लिये आवेदन :–</u>

मोटर यान अधि0 1988 की धारा 166 के अनुसार दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिये आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा–

क. उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति हुई है

ख. सम्पत्ति के स्वामी द्वारा

ग. जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है तथा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा या

घ. जिस व्यक्ति की क्षति हुई है उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिकर के लिये प्रत्येक आवेदन उस दावा न्यायाधिकरण को किया जायेगा जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता है जिसमें दुर्घटना हूई है तथा प्रतिकर के लिये आवेदन तभी ग्रहण किया जायेगा जब वह दुर्घटना होने के छः मास के अन्दर किया गया हो अन्यथा नहीं

परन्तु अधिकरण छः मास की सम्पत्ति के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रर्याप्त कारणों से व्यक्ति आवेदन समयाविधि में प्रस्तुत करने में अस्मर्थ रहा हो।

<u>अधिकरणों का अधिनिर्णय</u> –

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 168 के अनुसार –

धारा 166 के अधीन किये गये प्रतिकर के लिये आवेदन की प्राप्ति पर दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवदेन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई को अवसर देने के पश्चात् दावे पर जॉच कार्य संपादित करता है और प्रतिकर की धनराशि निश्चित करते हुये एक अधिनिर्णय प्रदान करता है। प्रतिकर की धनराशि ऐसी होती है जो दावा न्यायाधिकरण को न्याय–संगत लगती हो। अधिनिर्णय में यह विर्निदिष्ट किया जाता है कि किस व्यक्ति अथवा किन व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करना होगा और यह भी कि दुर्घटना में अभिग्रस्त यान के बीमाकर्ता अथवा स्वामी अथवा चालक अथवा समस्त अथवा उनमें से किसी द्वारा, जैसा भी मामला हो कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा।

अपील

(मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 173 के अनुसार) –

अधिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ऐसी कोई अपील करने की समय सीमा दावा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय की तिथि से 90 दिनों की होती है।

किन्तु उच्च न्यायालय इन 90 दिनों की समय–सीमा के समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उच्च न्या0 का समाधान हो जाता है कि प्रर्याप्त कारणों से आवेदनकर्ता समय के भीतर अपील करने से निवारित कर दिया गया है।

धारा 173 के अनुसार –

यदि अपील में विवाद की धनराशि 10000 रू0 से कम है तो दावा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के विपरीत कोई भी अपील नही की जा सकती है।

धारा 174 के अनुसार–

जहॉ किसी व्यक्ति से किसी अधिनिर्णय के अर्न्तगत कोई धनराशि देय है वहॉ दावाअधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किये जाने पर उस रकम का प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे ऐसी रीति से वसूलने के लिये अग्रसर होगा मानो वह भू–राजस्व की बकाया है।